

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/ताप्र/डी-1/3379/2039/आर.के.भवन/भाग-I,II/2013/190

दिनांक:- 11/12/2020

कार्यालय-आदेश

डा.राधाकृष्णन शिक्षक सदन आवास सुविधा के लिए पूर्व में निर्धारित दरों/किराये में संशोधन करने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(5)शिक्षा-6/2015/बीकानेर, जयपुर दिनांक 12.10.2020 द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्नानुसार आवास सुविधा की दरें/किराये की दरें संशोधित कर तत्काल प्रभाग से लागू की जाती है :-

(अ) शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त डा.राधाकृष्णन शिक्षक सदन के आवास सुविधा की दरें:-


क. सं.	श्रेणी	आवास सुविधा की (प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति) दर (रूपयों में)				
		वी.आइ.पी. कमरे	सिंगल बैडरूम	डबल बैडरूम	डोर मेंटरी	सभा कक्ष
1	शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	30/- प्रति व्यक्ति	20/- प्रति व्यक्ति	20/- प्रति व्यक्ति	10/- प्रति व्यक्ति	-
2	शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सरकार के अन्य विभाग,राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशापी निगम/बोर्ड व भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	150/- प्रति दिन	100/- प्रति दिन	100/- प्रति दिन	50/- प्रति व्यक्ति	700/- प्रति दिन
3	निजी संस्थानों /व्यक्तियों/संगठनों हेतु	300/- प्रति दिन	200/- प्रति दिन	200/- प्रति दिन	100/- प्रति व्यक्ति	1500/- प्रति दिन

(ब)डा.राधाकृष्णन शिक्षक सदन बीकानेर के अधीन भाग-1A (सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल प्रिंसिपल आवास कोठी) को शादी एवं सामाजिक कार्यों के लिए किराये पर दिये जाने के लिए किरायों की दरें :-

क. सं.	श्रेणी	निर्धारित किराये की दरें (रूपयों में)		
		प्रथम दिवस	द्वितीय दिवस	तृतीय दिवस
1	शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु ।	2500/-	700/-	700/-
2	शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सरकार के अन्य विभाग,राजकीय उपक्रम/स्वायत्तशापी निगम/बोर्ड व भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	7000/-	3000/-	3000/-
3	निजी संस्थानों /व्यक्तियों/संगठनों हेतु	15000/-	7000/-	7000/-

डा.राधाकृष्णन शिक्षक सदन बीकानेर के अधीन भाग-1A (सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल प्रिंसिपल आवास कोठी) के विद्युत उपभोग राशि समय-समय पर प्राप्त की जाने वाली दर से तथा पानी एवं सफाई हेतु पूर्व में निर्धारित दर 200 रूपये के स्थान पर 500 रूपये एवं 250 रूपये के स्थान पर 500 रूपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।

डॉ.राधाकृष्णन शिक्षक सदन में ठहरने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रति विजिट 100/- रूपये विकास शुल्क प्राप्त किया जायेगा । डॉ.राधाकृष्णन शिक्षक सदन समस्त द्वारा विकास शुल्क से प्राप्त राशि को हितकारी निधी के खाता संख्या 51020721611 में जमा करवाया जायेगा ।



(सौरभ स्वामी)

I. A. S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव,शिक्षा(ग्रुप-6)राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक प.17(5)शिक्षा-6/2015/बीकानेर, जयपुर दिनांक 12.10.2020 के क्रम में ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. वित्तीय सलाहकार /उप निदेशक(प्रशासन) कार्यालय हाजा ।
4. समस्त संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा विभाग/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
5. समस्त प्रभारी/अवधाता डा.राधाकृष्णन शिक्षक सदन (आर.के.भवन)।
6. स्टॉफ आफिसर,निजी अनुभाग(निदेशक)/ अनुभाग अधिकारी, रोकड /बजट/भण्डार/हितकारी निधी अनुभाग
7. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर